भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3823
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ में राज्यों का प्रतिनिधित्व

3823. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ में सभी राज्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार उच्चतर न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बनाए रखने के लिए तैयार है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय और इसकी मदुरै पीठ में तमिल भाषा को राजभाषा बनाए जाने की मांग पर कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते है । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसके तारीख 6 अक्तूबर 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के उच्चतम न्यायालय निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। द्वितीय न्यायाधीश मामले में यह अधिकथित किया गया कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति करते समय अन्य कारकों के साथ जैसे देश के सभी भागों से लोगों के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व, उपयुक्त और समान रूप से प्रतिभाशाली न्यायाधीशों की विधिसम्मत अपेक्षा पर विचार किया जाना चाहिए, उनकी बारी में सबसे उपयुक्त और उनमें से प्रतिभाशाली का चुनाव करते समय सम्यक विचार के लिए सुसंगत कारक है ।

एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रारंभ करना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारंभ करना संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के

रूप में नियुक्ति करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की जाती है ।

तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में आने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए, जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके ।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1) यह उपबंध करता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी ।

अनुच्छेद 348(2) यह उपबंध करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, राज्य यह उपबंधित कर सकेगा कि ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में होंगे । राजभाषा अधिनियम, 1963 इसे दोहराता है और धारा 7 के अधीन यह उपबंध करता है कि राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री आदि के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । जहां तक संसद द्वारा इस संबंध में कोई विधि नहीं बनाई गई है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियों के लिए अंग्रेजी भाषा बनी रहेगी ।

भारत के 18वें विधि आयोग नें "भारत के उच्चतम न्यायालय में अनिवार्य भाषा के रुप में हिंदी को पुरःस्थापित करने की अपनी असाध्यता" (2008) पर अपनी 216वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, सभी पणधारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् सिफारिश की है कि उच्चतर न्यायपालिका को वर्तमान सामाजिक संदर्भ में किसी प्रकार के प्रेरक परिवर्तन के अधीन नहीं किया जाना चाहिए । सरकार ने आयोग के पक्ष को स्वीकार कर लिया है ।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बिहार राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों के साथ-साथ निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों में भी हिंदी के प्रोयग को बहुत पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है । भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार से क्रमशः मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल, गुजराती और हिंदी के उपयोग को अनुज्ञा देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 1965 में किए गए एक विनिश्चय के अनुसार इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने पत्र तारीख 16.10.2012 के माध्यम से 11.10.2012 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में सूचित किया कि सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना विनिश्चित किया और 07.05.1997 तथा 15.10.1999 को अंगीकृत किए गए उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायलय के पूर्वतर समान संकल्पों को दोहराया गया। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के विनिश्चिय का पालन किया है ।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से डी.ओ.पत्र तारीख 04.07.2014 के माध्यम से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए इस संबंध में पूर्वतर विनिश्चयों की समीक्षा करने का अनुरोध किया और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति को संप्रेषित किया ।

माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने डी.ओ.पत्र तारीख 18.01.2016 में व्यक्त किया कि पूर्ण न्यायालय ने व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावों को अननुमोदित कर दिया और संकल्प को दोहराया जिसे 07.05.1997 को, 15.12.1999 को और 11.10.2012 को अंगीकृत किया गया था ।

****